इजराय सं. 07/2001

दिनांक 23.09.2025

डिक्रीदार के अधिवक्ता उपस्थित। मद्यून की ओर से लोक अभियोजक/राजकीय अभिभाषक श्री मुकेश सिकरवार उपस्थित। मद्यून की ओर से एक प्रार्थना पत्र जरिये राजकीय अभिभाषक श्री सौरभ शर्मा, अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजाखेड़ा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्वयं श्री सौरभ शर्मा अधिशाषी

अभियंता शासन सचिवालय, जयपुर में बैठकर इस पत्रावली से संबंधित वित्तीय भार को क्लीयर कराने बावत् वित्तीय स्वीकृति हेतु वहीं बैठे हुए हैं। न्यायहित में उन्हें समय प्रदान किया जावे। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे।

राजकीय अभिभाषक के निवेदन व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि राज्य सरकार इस प्रकरण में डिक्रीदार/पक्षकारान को पैसा जमा कराना चाह रही है लेकिन वह न्यायहित में समय बढ़ानचा चाह रही है। उक्त स्थितियों व तथ्यों को देखते हुए हालांकि प्रकरण लक्षित प्रकरणों में से एक है और यह लगभग 24 वर्ष पुराना प्रकरण है जिसमें नियमित तारीख पेशी चल रही है, लेकिन प्रार्थना पत्र के तथ्यों को देखते हुए नियमित तारीख पेशी पर पैसा जमा कराने की स्थिति प्रकट नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में राजकीय अभिभाषक को हिदायत दी जाती है कि वे आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से या तो डिक्रीदार की राशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा प्रकरण में बहस के लिए तैयार रहें।

पत्रावली वास्ते जमा होने राशि/बहस दिनांक 29.09.2025 को पेश हो।

23/09/2025

जिला न्यायाधीश
धौलपुर (राज0)